भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2458
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक कृषि और जीरो बजट प्राकृतिक कृषि

2458. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में जैविक कृषि और जीरो बजट प्राकृतिक कृषि पहलों को अपनाए जाने और उनकी सफलता के संबंध में आंकड़े क्या हैं; और
(ख) पारंपरिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि अपनाने वाले किसानों को क्या प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में जैविक खेती के अंतर्गत कुल संचित क्षेत्र 59.74 लाख हेक्टेयर[राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम - 44.75 लाख हेक्टेयर + परम्परागत कृषि विकास योजना - 14.99 लाख हेक्टेयर (भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सहित)] है और देश में 48.30 लाख किसान [राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम - 23.58 लाख + परम्परागत कृषि विकास योजना - 24.72 लाख (भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत 5.34 लाख सहित)] संगठित किए गए हैं।

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में परम्परागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशन की स्कीमों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जल प्रतिधारण क्षमता में सुधार के लिए वर्ष 2015-16 से देश में प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों ही स्कीमें जैविक खेती कर रहे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तथा फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक समग्र सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं और सतत कृषि पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।

सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना के भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। यह स्कीम मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के अनुपयोग पर बल देती है और शून्य बजट प्राकृतिक खेती सहित बायोमास मल्चिंग, गोबर-मूत्र मिश्रण के उपयोग और पौध आधारित अन्यउत्पाद पर प्रमुख जोर देते हुए ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। अब तक 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 5.34 लाख किसानों को संगठित किया गया है।

(ख) : परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, पीजीएस प्रमाणीकरण, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार-प्रसार जैसे विभिन्न घटकों को कवर करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को पारंपरिक खेती के स्थान पर जैविक खेती पद्धति अपनाने के लिए ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट हेतु प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशनके तहत, एफपीओ के निर्माण, जैविक इनपुट, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणीकरण हेतु3वर्ष के लिए कुल 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को डीबीटी के रूप में 15,000 रुपये तथा राज्य अग्रणी एजेंसी (स्टेट लीड एजेंसी) द्वारा किसानों को रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये की वस्तुगत सहायता दीजाएगी।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत 500 हेक्टेयर के क्लस्टर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा तीन वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 12200.00 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

*****